



**भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै
निविदा सूचना**

**भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और कॉफी/चाय सेवाओं के लिए
जनशक्ति की आपूर्ति के लिए ई-निविदा**

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै निम्नलिखित कार्य के लिए ऐसे पात्र संविदाकारों से ई-निविदा के माध्यम से दो-भाग निविदा आमंत्रित करता है जो नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। जिस कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं उसका मुख्य ब्योरा और बोलीदाता के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नानुसार हैं:

क.	विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै।
ख.	ई-निविदा संख्या:	आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/677 (चाय कॉफी सेवाएं और सीवीएम)
ग.	ई-निविदा का नाम (कार्य का विवरण)	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में चाय/कॉफी की वेंडिंग मशीनों की स्थापना और चाय/कॉफी तैयार करने और परोसने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति
घ.	निविदा का माध्यम	https://www.mstcecommerce.com/eprocn (एमएसटीसी पोर्टल) के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
ड.	पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की दिनांक	10 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 13:00 बजे से
च.	निविदा का अनुमानित मूल्य	(लगभग) ₹42,52,000/- (रुपये बयालीस लाख बावन हजार मात्र)। 01 जनवरी, 2026 से 31 मई, 2026 तक 05 महीने की अवधि के लिए।
छ.	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	एनईएफटी द्वारा ₹89,040/- (रुपये नवासी हजार चालीस मात्र) लाभार्थी का नाम: एनईएफटी आवक खाता लाभार्थी का खाता सं.: 186003001 आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) टिप्पणी: कृपया ब्योरा "ओएलडीआर-निविदा-चाय / कॉफी सेवाएं" के रूप में दर्ज करें। ईएमडी जमा करने संबंधी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ राशि जमा किए जाने का प्रमाण ईमेल आईडी: oldrchenai@rbi.org.in पर भेजें।
ज.	https://www.mstcecommerce.com/eprocn	12 दिसंबर 2025 को अपराह्न 17:00 बजे

	पर तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शुरू होने की दिनांक	
झ.	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 16:00 बजे
ञ.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की दिनांक	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 16:00 बजे
ट.	बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)	<p>बैंक के प्रामाणिक स्रोत से निविदा के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले इच्छुक बोलीदाताओं के लिए एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक की दिनांक और समय: 12 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे</p> <p>बोली-पूर्व बैठक के आयोजन का स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सम्मेलन कक्ष-1, दूसरी मंजिल, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी सालै, चेन्नै-600001</p> <p>अस्वीकरण: केवल बोली-पूर्व बैठक में सहभागिता संविदा प्रदान करने की गारंटी नहीं होगी और यह निविदा में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के अधीन है।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक में सहभागिता केवल स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने के लिए सभी व्यवस्थाएं, इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा की जानी चाहिए।</p> <p>बोली पूर्व बैठक संपूर्ण निविदा के किसी प्रावधान प्रामाणिक/ प्राधिकृत बैंक स्रोत से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का एक मंच मात्र है। साथ ही, बैंक किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी शर्तों एवं निबंधनों में छूट देने के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।</p> <p>बैठक की दिनांक और समय परिवर्तन के अधीन है। यदि बैंक आवश्यक समझे तो अपने विवेक से बोली-पूर्व बैठक को रद्द कर सकता है।</p>
ठ.	भाग I (तकनीकी बोली) के खुलने की दिनांक और समय	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 17:00 बजे
ड.	भाग-II (वित्तीय बोली) के खुलने की दिनांक और समय	<p>भाग-II (वित्तीय बोली) इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल उन्हीं बोलीदाता (बोलीदाताओं) के लिए खोली जाएगी जिनका भाग-I (तकनीकी बोली) भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है।</p> <p>ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा दिए गए वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की दिनांक के बारे में सूचित किया जाएगा।</p>
ढ.	निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I (तकनीकी बोली) के खुलने की दिनांक से 90 दिन
ण.	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/ एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेन-देन शुल्क का

	भुगतान।
--	---------

2. बोलीदाता जो निम्नलिखित न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

क्र.सं.	मानदंड	अपेक्षा
1.	पूर्वानुभव की अवधि	इच्छुक आवेदक को सरकारी विभागों/ बैंकों/ प्रतिष्ठित सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के संस्थानों को समान कार्य* प्रदान करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होने के साथ उन्हें प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ एलएलपी/ प्राइवेट लिमिटेड/ लिमिटेड कंपनी/ फर्म/ पब्लिक कंपनी होना चाहिए।
अनुबंधों के लिए, कृपया निविदा दस्तावेज़ देखें		

(i) *समान कार्य का अर्थ होगा सरकारी विभागों/ बैंकों/ प्रतिष्ठित सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र की संस्थाओं/ संगठनों को कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और/या कॉफी/चाय सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति करना होगा।

(ii) समान कार्य की लागत की गणना करते समय, समान कार्य (ऊपर उल्लिखित) की परिभाषा में शामिल कार्यों के अलावा निष्पादित कार्य के घटकों की कटौती की जाएगी। बोलीदाता इसके समर्थन में कार्य की लागत का सार प्रस्तुत करेगा।

(iii) बैंक जब कभी आवश्यक समझे तो उसे उक्त दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने / करवाने का अधिकार होगा।

(iv) बैंक के पास बोलीदाताओं के अर्हक कार्य(कार्यों), बैंकर (बैंकरों) की रिपोर्ट, यदि वांछित हो, के लिए ग्राहकों से कार्यनिष्पादन रिपोर्ट सीधे प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में उल्लिखित अपने कार्य पात्र/ अर्हक कार्यों का स्वयं निरीक्षण भी कर सकता है।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा अपने इन-हाउस या पूंजीगत उपयोग के लिए निष्पादित कार्य को समान कार्यों के पूरा होने के कार्य अनुभव के प्रयोजन के लिए नहीं माना जाएगा।

(vi) यदि पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप में स्थान पर्याप्त नहीं है तो ऐसी जानकारी बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार कागज की एक अलग शीट पर प्रस्तुत की जा सकती है जो मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित हो और स्कैन करके सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपलोड की जा सकती है।

(vii) यदि किसी कॉलम में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो उस कॉलम में शून्य या ऐसा कोई मामला नहीं प्रविष्टि की जानी चाहिए। यदि बोलीदाता के मामले में कोई विवरण/ प्रश्न लागू नहीं होता है तो इसे 'लागू नहीं' के रूप में बताया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज के साथ सभी विनिर्दिष्ट अनुलग्नक संलग्न किए जाएं और प्रतिलिपियां स्व-अनुप्रमाणित हों।

(viii) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली जो उपर्युक्त पूर्व अर्हता मानदंड को पूरा नहीं करती पाई जाती है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। झूठी और/ या अधूरी जानकारी वाली बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं।

(ix) संपूर्ण ब्योरे के लिए कृपया निविदा दस्तावेज, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली देखें। इसके अलावा, शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट, यदि कोई हो तो, बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर 'निविदाएं' लिंक के अंतर्गत और <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर होस्ट किया जाएगा।

(x) बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
चेन्नै
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

(केवल ई-निविदा)
निविदा दस्तावेज
भाग - I

आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/677
(चाय कॉफी सेवाएं और सीवीएम)

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और कॉफी/चाय सेवाओं के लिए
जनशक्ति की आपूर्ति

जमा करने की अंतिम दिनांक: 19 दिसंबर 2025, 16.00 बजे तक।



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै ने इच्छुक पार्टियों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और वह इसे सही मानता है, परंतु न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसका कोई प्राधिकारी या उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में प्रकट या निहित रूप से कोई वारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

यह जानकारी विस्तृत नहीं है। इच्छुक पार्टियों द्वारा अपने स्तर पर स्वयं पूछताछ की जानी आवश्यक है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में इस आशय की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या परामर्शदाताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इस कार्य के साथ आगे न बढ़ने या कार्य के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदा में भविष्य में जारी किया जाने वाला कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै
विषय-सूची

खंड / अनुबंध	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड I	निविदा का प्रपत्र	1-3
खंड II	निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	4-6
खंड III	ई-टेंडरिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश	7-11
खंड IV	पूर्व-योग्यता मानदंड/तकनीकी आवश्यकताएँ	12-16
खंड V	ठेकेदार के कार्य और सेवाओं का दायरा	17-27
खंड VI	बोलीदाताओं के लिए अनुदेश	28-38
खंड VII	सामान्य निबंधन और शर्तें	39-46
अनुबंध I	बैंकों का विवरण	47
अनुबंध -II	अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकों के प्रमाणपत्र का प्रपत्र	48
अनुबंध III	निविदाकर्ता(ओं) के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र	49
फार्म-I	तकनीकी बोली	50-52
अनुबंध IV	जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट	53
अनुबंध V	वित्तीय बोली पर अनुदेश	54-57
अनुबंध VI	ग्राहकों की सूची/खानपान सेवाएं प्रदान करने में पिछले अनुभव का विवरण	58
अनुबंध VII	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	59-62
अनुबंध VIII	किसी भी अपराध/लंबित मामले की दोषसिद्धि न होने की घोषणा	63
अनुबंध IX	घोषणा	64
अनुलग्नक X	वित्तीय बोली (केवल उदाहरण के लिए)	65-66
अनुबंध XI	न्यूनतम वेतन गणना पत्रक	67
अनुबंध XII	दंड	68-69

खंड I

निविदा का प्रपत्र

श्रीमती उमा शंकर
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लासिस, राजाजी सालै
चेन्नै- 600001

स्थान:
दिनांक:

महोदया,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के लिए उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निविदा के भाग II में उल्लिखित दरों पर और करार के लेखों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और, यहां संदर्भित शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ, जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्य का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और कॉफी/चाय तैयार करने और परोसने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति।
(ख)	कार्य की अनुमानित लागत	₹44,52,000/- (रुपये चौवालीस लाख बावन हजार मात्र)
(ग)	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹89,040/- (रुपये उनासी हजार चालीस मात्र) एनईएफटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, एचआरएमडी - ओएलडीआर अनुभाग, चेन्नै के पक्ष में ।
(घ)	संविदा की वैधता	01 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक 5 महीने
(ङ)	प्रतिधारण जमाराशि (आरएमडी)	संविदा मूल्य का 5% (केवल सफल ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है) प्रतिधारण राशि @ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से तब तक वसूल की जाएगी जब तक कि कुल वसूली संविदा मूल्य

		का 5% नहीं हो जाती, जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित है।
(च)	प्रतिभूति जमा / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	कोट की गई राशि का 5% (केवल सफल ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

- **निविदा वैधता और विस्तारण:** हम सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग I (तकनीकी बोली) के खुलने की दिनांक से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी। इस वैधता अवधि को लिखित रूप में बैंक और हमारे बीच पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम बयाना जमा राशि (ईएमडी), प्रतिधारण जमा राशि (आरएमडी), और प्रतिभूति जमा राशि प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो निविदा/संविदा वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध है।
- **स्वीकृति और अनुपालन:** यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है तो हम इसके द्वारा निविदा के सभी लागू निबंधनों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। चूक की स्थिति में, हम करार की लिखित स्वीकृति के साथ-साथ निविदा की शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त किए जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
- **ई-निविदा दस्तावेज़ का अनुपालन:** हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

हम भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ईएमडी के रूप में ₹89,040/- (रुपये उनासी हजार चालीस मात्र) की राशि जमा करने का वचन देते हैं।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग I (तकनीकी बोली) के खुलने की दिनांक से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/ हम बयाना जमा राशि (ईएमडी), प्रतिधारण जमा राशि (आरएमडी), और सुरक्षा जमा प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो निविदा/संविदा वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध है।

यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक को संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित राशि को जब्त किए जाने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उक्त निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए वचन देते हैं।

मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सबसे कम बोली और किसी भी एक या सभी निविदा को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

दिनांक: माह _____ 2025 का दिन _____.

मेसर्स (कंपनी का नाम) के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

साक्षी:-

(1) नाम, पता और दिनांक के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और दिनांक के साथ हस्ताक्षर



खंड II

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) और निविदा की अनुसूची (एसओटी)

विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै।
ई-निविदा संख्या:	आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/677(चाय कॉफी सेवाएं और सीवीएम)
ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में चाय/कॉफी वैडिंग मशीनों की स्थापना और चाय/कॉफी तैयार करने और परोसने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति
निविदा का माध्यम	ई-खरीद प्रणाली ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - https://www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से वित्तीय बोली)
पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने के लिए एनआईटी की दिनांक	10 दिसंबर 2025 को अपराह्न 13:00 बजे से
निविदा का अनुमानित मूल्य	₹44,52,000/- (रुपये चौवालीस लाख बावन हजार मात्र) (लगभग)। 1 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक 5 महीनों की अवधि के लिए वैध।
बयाना जमाराशि(EMD)	₹89,040/- (रुपये उनासी हजार चालीस मात्र) एनईएफटी द्वारा : लाभार्थी का नाम: एनईएफटी इनवर्ड अकाउंट लाभार्थी एसी नंबर: 186003001

	<p>आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)</p> <p>टिप्पणियां: "OLDR-Tender-Tea/Coffee Services" के रूप में विवरण दर्ज करें ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण ईमेल आईडी oldrchennai@rbi.org.in पर भेजें।</p>
ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	16 दिसंबर 2025 को अपराह्न 16.00 बजे
तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शुरू होने की दिनांक https://www.mstcecommerce.com/eproc	12 दिसंबर 2025 को अपराह्न 17.00 बजे
तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की दिनांक	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 16.00 बजे
भाग I के खुलने की दिनांक और समय (यानी तकनीकी बोली)	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 17.00 बजे
भाग- II (वित्तीय बोली) के खुलने की दिनांक और समय	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै द्वारा स्वीकार्य पाई गई है।
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	<p>उन इच्छुक बोलीदाताओं के लिए निविदा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी जिन्होंने बैंक के प्रामाणिक स्रोत से इसका समाधान करने का विकल्प चुना है।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक की दिनांक और समय: 12 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे</p>

	<p><u>बोली-पूर्व बैठक का स्थान:</u> भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सम्मेलन कक्ष नंबर 1, दूसरी मंजिल, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी सालै, चेन्नै-600001</p> <p>अस्वीकरण: बोली-पूर्व बैठक में भाग लेना मात्र संविदा प्रदान करने की गारंटी नहीं होगी और यह निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक में भागीदारी केवल स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने के लिए सभी व्यवस्था इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा की जानी चाहिए।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक प्रामाणिक/अधिकृत बैंक स्रोत से संपूर्ण निविदा में किसी भी प्रावधान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए केवल एक मंच है और बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम और शर्तों में छूट देने के लिए किसी भी दावे को हतोत्साहित करता है।</p> <p>बैठक की दिनांक और समय परिवर्तन के अधीन है। बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो अपने विवेक से बोली-पूर्व बैठक को रद्द कर सकता है।</p>
--	---

खंड III

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क. निविदाएं केवल एमएसटीसी के वी3 पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएंगी। बैंक द्वारा प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए, विक्रेताओं को एमएसटीसी वी3 पोर्टल, <https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए वेबसाइट से नवीनतम दिशानिर्देशों की जांच करते रहें। विक्रेता किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए हेल्पडेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।

ख. पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली को ऑनलाइन जमा करना होगा, <https://www.mstcecommerce.com/eproc> विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया निर्धारित ई-निविदा समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई): केवल कार्यालय समय के दौरान यानी पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक

1. श्री उस्मान खान पी (एम): 044 2539 9279
2. श्री शिरीष कुमार बी (एम): 044 2539 9210

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए) फोन नंबर :07969066600
helpdeskho@mstcindia.in

(कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

1. श्री षण्मुगम - 9176397264

ईमेल आईडी: nshanmugam@mstcindia.co.in

2. श्री जे दामोदरन- 9841002253

ईमेल आईडी: jdmodaran@mstcindia.co.in

3. एमएसटीसी हेल्प लाइन: 9499054101/2/3/4।

ईमेल आईडी: helpdesk@mstcindia.co.in

4. श्री वी गणेश मूर्ति - 044 - 28285000

Google hangout ID- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

ग. सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है

<https://www.mstcecommerce.com/eproc/>

क. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम

ख. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।

ग. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर

घ. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

➤ उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > सक्षम होने पर संरक्षित मोड को अक्षम करें- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

➤ उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।

➤ सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→इंटरनेट विकल्प→कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com चलाएं)

2. तकनीकी बोली और मूल्य बोली <https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट दिनांक और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।
3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

एमएसटीसी लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

4. विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "माई मेन्यू " के तहत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

नोट:

- (i) लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।
- (ii) एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।
- (iii) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें।

5. अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. एनआईटी में उल्लिखित नियत दिनांक और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

7. ई-निविदा में बोली लगाना :

क. बयाना जमाराशि (ईएमडी) 19 दिसंबर, 2025 को शाम 15:30 बजे या उससे पहले एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक खाते में प्रेषित किया जाएगा, एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।

i. लाभार्थी का नाम: एनईएफटी इनवर्ड अकाउंट

ii. खाता संख्या: 186003001

iii. आईएफएससी: RBIS0CNPA01

iv. (पांचवां और दसवां अंक "शून्य" है न कि अंग्रेजी अक्षर "ओ")

v. लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण एमएसटीसी की वेबसाइट पर संलग्न/अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण ईमेल आईडी oldrchenai@rbi.org.in पर भेजें।

ख. विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक बयाना राशि जमा, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा

ग. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

क. जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eproc> → ई-खरीद → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई → मेरे मेनू के तहत लॉगिन → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट लाइव इवेंट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।

ख. बिड फ्लोर तक पहुंचने पर, विक्रेताओं को जावा आवेदन शुरू करना आवश्यक है, जो बोली प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनिवार्य कदम है। क्रम में निष्पादित किए जाने वाले बाद के चरण हैं: सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें, सबमिशन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए 'तकनीकी बोली' टैब पर क्लिक करने से पहले सभी जानकारी को सहेजना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें कि जावा एप्लिकेशन को चलाने में विफलता के परिणामस्वरूप तकनीकी बोली को सहेजने या जमा करने में असमर्थता होगी।

ग. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए

'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना होगा और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों सहेज लिए जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

- घ. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- ङ. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- च. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- छ. ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित दिनांक और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- ज. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
- झ. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ञ. क्रेता के पास कोई कारण बताए बिना निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ट. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करने से निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- ठ. इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- ड. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत दिनांक को बढ़ाने का अधिकार है।
- ढ. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पेज में वीडियो देखें।
- ण. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।

खंड-IV

पूर्व-योग्यता मानदंड/तकनीकी आवश्यकताएँ

केवल वे केटरर्स / फर्म जो निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों/तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आरबीआई, चेन्नै में कैंटीन सुविधा प्रदान करने के लिए निविदा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

क्रम सं	मानदंड	आवश्यकता
1	पिछले अनुभव और पंजीकरण की अवधि	<p>क) निविदाकर्ताओं को प्रतिष्ठित संगठनों [सरकारी विभागों (केंद्रीय या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों/अन्य विनियामक प्राधिकरणों / प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संस्थानों] में चाय/काँफी की तैयारी और परोसने और काँफी/चाय वेंडिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव सहित पेय सेवाएं प्रदान करने में न्यूनतम पांच (05) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव निविदा आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार होना चाहिए (यानी 30 नवंबर 2025)।</p> <p>ख) आवेदकों को निर्दिष्ट प्रारूप (अनुबंध-VI) के अनुसार अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए और पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण को दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदकों को कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, करार की प्रति/कार्य आदेश की प्रति और किसी भी अन्य दस्तावेज को अनिवार्य रूप से एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।</p> <p>ग) एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण (केंद्र/राज्य) के साथ पंजीकृत होना चाहिए और खानपान सेवाओं को निष्पादित करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए।</p> <p>घ) एजेंसी का अनिवार्य रूप से चेन्नै में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉरपोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/आंचलिक) होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है।</p>

2	न्यूनतम मूल्य प्रत्येक पूर्ण कार्य का (योग्यता)	<p>अ) चाय/काँफी तैयार करने और परोसने की सेवाएं प्रदान करने और/या काँफी/चाय वेंडिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए एक (01) कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% अर्थात् ₹35,61,600/-के बराबर राशि से कम नहीं हो</p> <p>आ) चाय/काँफी तैयार करने और परोसने की सेवाएं प्रदान करने और/या काँफी/चाय वेंडिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए दो (02) कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% अर्थात् ₹22,26,000/- रुपये के बराबर राशि से कम नहीं हो।</p> <p>इ) चाय/काँफी तैयार करने और परोसने की सेवाएं प्रदान करने और/या काँफी/चाय वेंडिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन (03) कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% अर्थात् ₹17,80,800/- रुपये के बराबर राशि से कम नहीं हो।</p> <p>नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी पोर्टल में अनिवार्य रूप से ऊपर सुझाए गए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।</p> <p>फर्मों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे चेन्नै में स्थित कम से कम एक ग्राहक का विवरण दें (अधिमानत: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है), क्योंकि इससे आरबीआई अधिकारियों की समिति साइट निरीक्षण करने में सक्षम होगी।</p> <p>संतोषजनक समापन / अनुभव के लिए ग्राहक की रिपोर्ट एमएसटीसी पोर्टल में दस्तावेजी प्रमाण (पीडीएफ प्रारूप में स्कैन की गई प्रति) के रूप में अपलोड की जाएगी। (अनुबंध III के अनुसार)</p>
3	वार्षिक कारोबार	<p>निविदाकर्ताओं का वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खानपान सेवाओं/चाय/काँफी बनाने, काँफी/चाय वेंडिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव में निविदा की अनुमानित लागत ₹44,52,000/- प्रति वर्ष के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।</p> <p>(एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश/खातों का सीए प्रमाणित विवरण/लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें)</p>

4	सॉल्वेंसी/बैंकर्स सर्टिफिकेट	निविदाकर्ताओं को अपनी क्रेडिट योग्यता साबित करने के लिए निविदा की अनुमानित लागत ₹44,52,000/- रुपये (चवालीस लाख बावन हजार मात्र) के 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्य के अनुबंध -II में दिए गए बैंकर प्रमाणपत्र को भी अपलोड करना होगा। (एमएससीटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाणपत्र अपलोड करें)
---	------------------------------	---

क. निविदाकर्ता (ओं) का चेन्नै में कम से कम एक कार्यालय होना चाहिए।

ख. बोलीदाताओं को पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए गए प्रत्येक समान कार्य के लिए अनुबंध-III के अनुसार पिछले और वर्तमान ग्राहकों से कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग. एफएसएसएआई प्रमाणन अनिवार्य है ।

घ. बोलीदाता के पास लागू कर पंजीकरण (पैन, जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआई आदि) होना चाहिए।

(एमएसटीसी पोर्टल में एफएसएसएआई प्रमाणपत्र, पैन, जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआई पंजीकरण की प्रति अपलोड करें)

ङ. बोलीदाता के पास वैधानिक निकायों से सभी स्वीकृतियों सहित व्यवसाय करने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित वैध लाइसेंस/प्रमाणपत्र होना चाहिए।

च. बोलीदाता का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में चालू खाता होना चाहिए ।

छ. बोलीदाता के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ कॉर्पोरेट्स/ सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों जैसे ग्राहक होने चाहिए।

ज. अपने उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता के लिए आईएसओ प्रमाणन रखने वाली फर्मों को बोलीदाता को अंक देकर तकनीकी बोली के भाग-I में मूल्यांकन प्रक्रिया मानदंड में वरीयता दी जाएगी। {खंड VI (पैरा 31) देखें}

झ. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने से पहले पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ई-निविदा के साथ सभी प्रासंगिक विवरण/जानकारी भी जमा करनी चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।

ञ. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो बैंक द्वारा निर्दिष्ट पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं

करती हैं उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- ट. बोलीदाता को "भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै" के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से ₹89,040/- (रुपये उनासी हजार चालीस मात्र) की ईएमडी का भुगतान करना होगा।
- ठ. बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र की पुष्टि/संतुष्टि के लिए दिए गए ग्राहकों के विवरण में से किसी भी ग्राहक से संपर्क करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि कोई निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं करता पाया जाता है और/या अपने ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्यनिष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक/झूठी पाई जाती है तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी निविदाकर्ता को वापस कर दी जाएगी। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- ड. निविदा खोलने से पहले/बाद में किसी भी समय (भाग- I या II), फर्म/केटरर्स द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज या जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- ढ. निविदाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और उसे किसी भी सरकार/पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, या नकारात्मक सूची में नहीं रखा जाना चाहिए, और न ही इसकी किसी भी संविदा को असंतोषजनक कार्यनिष्पादन, करार के उल्लंघन या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण किसी भी संगठन द्वारा पूर्व में समाप्त किया गया नहीं होना चाहिए।
- ण. ऐसे बोलीदाता आवेदन करने के पात्र नहीं हैं जिनकी खानपान संविदा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण बैंक द्वारा समाप्त कर दी गई थी या जिन्होंने ठेका दिए जाने के बाद करार करने से मना कर दिया गया था।
- त. इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य से बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में बैंक उनके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- थ. बैंक अपूर्ण ई-निविदा प्रपत्रों या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां निविदा को खाली छोड़ दिया गया है या यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भ्रामक पाई जाती है।
- द. बोली के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और

निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने से बैंक की निविदाकर्ताओं के प्रति कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा, यदि प्रस्तुत की गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है या बोलियां सशर्त पाई जाती हैं तो ऐसी बोलियों को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नोट: निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी तरीके से झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर ऐसी बोली को रद्द / अस्वीकृत किया जाता है /संविदा को समाप्त किया जा सकता है और ईएमडी/एसडी जब्त कर ली जाएगी।

खंड V

ठेकेदार द्वारा कार्य और सेवाओं का दायरा

1. कॉफी वेंडिंग मशीन की स्थापना और रखरखाव

क) ठेकेदार बैंक द्वारा चिन्हित स्थान पर बैंक परिसर के अंदर कॉफी/चाय/दूध/डिप चाय देने के लिए एक कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन स्थापित करेगा। मशीन 24*7 (बैंक अवकाश और रविवार सहित) कार्य करेगी। जब भी बैंक द्वारा आवश्यकता होगी, ठेकेदार अतिरिक्त कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था भी करेगा। स्थापित अतिरिक्त मशीनों के लिए किराया शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान बैंक के पूर्व अनुमोदन से ठेकेदार को किया जाएगा।

बी) कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन स्वचालित रूप से वितरित पेय पदार्थों की संख्या को रिकॉर्ड करने में सक्षम होनी चाहिए। एक "कॉफी वेंडिंग मशीन रीडिंग रजिस्टर" बनाए रखा जाना चाहिए, जहां मशीन रीडिंग के दैनिक खुलने और बंद होने की स्थिति दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर और मशीन का निरीक्षण समय-समय पर बैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

ग) पेय पदार्थों को अच्छी गुणवत्ता वाले बायो-डिग्रेडेबल पेपर कप (150 मिलीलीटर) में परोसा जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाले लकड़ी के स्टिरर, चीनी, चीनी मुक्त विकल्प और देशी चीनी ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बैंक ठेकेदार को बैंक द्वारा प्रदान किए गए सिरेमिक कप में पेय पदार्थों की आपूर्ति करने के बारे में भी सूचित कर सकता है।

घ) कॉफी वेंडिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकता:

- i. सीवीएम एक साथ चाय और कॉफी का वितरण करेगी।
- ii. सीवीएम में पेय पदार्थों के उपयोग और वितरण की मात्रा की गणना की निगरानी के लिए प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण होगा।
- iii. सीवीएम गर्म दूध, चाय (मानक और कड़क), काली चाय, कॉफी (मानक और कड़क) और गर्म पानी जैसे पेय पदार्थों का वितरण करेगी।

ई) कोटेशन में दिए गए चाय डिप्स (असम, नींबू, अदरक, ग्रीन टी), ताजा दूध आदि की सभी किस्मों का पर्याप्त स्टॉक ठेकेदार द्वारा बनाए रखा जाएगा और आपूर्ति की जाएगी।

च) मशीनों का रखरखाव करने वाला व्यक्ति स्थापित मशीनों को प्रतिदिन साफ करेगा। मशीनों का निवारक रखरखाव ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनों की नियमित रूप से सफाई की

जाए और स्वच्छता मानकों को बनाए रखा जाए। ठेकेदार मशीनों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करेगा।

छ) बैंक चाय और कॉफी तैयार करने के लिए पानी, वैडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए विद्युत प्वाइंट और कॉफी वैडिंग मशीन से संबंधित कटलरी और क्राँकरी के भंडारण के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. स्टाफ सदस्यों के कार्यस्थलों पर पेय पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति

अ. ठेकेदार बैंक की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर कॉफी/चाय/दूध/फ्लेवर्ड चाय (डिप्स) तैयार करेगा और परोसेगा। पेय पदार्थों को एक बार पूर्वाह्न में (अनंतिम रूप से सुबह 10:30 बजे - दोपहर 12:00 बजे के दौरान) और कम से कम एक बार दोपहर में (अनंतिम रूप से दोपहर 2:30 बजे - 4:30 बजे के दौरान) परोसा जा सकता है। सेवाओं के लिए सटीक समय बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा।

आ. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, पेय पदार्थ कप और तश्तरी में परोसे जाएंगे (बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा)। अन्य कर्मचारियों के लिए, पेय पदार्थों को बायो-डिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप में परोसा जा सकता है, जिसके लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्था की जानी होती है। वरिष्ठ अधिकारियों की सूची उनके केबिन के साथ बैंक द्वारा इंगित की जाएगी। बैंक द्वारा प्रदान किए गए कप और तश्तरी को ठेकेदार द्वारा साफ और स्वच्छ रूप से रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चाय और कॉफी सेवा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच अनुरोध पर उपलब्ध होगी। निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए, विक्रेता दो समर्पित स्टाफ सदस्यों को तैनात कर सकता है, जो अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे जिससे पूरे कारोबार समय में त्वरित और विनम्र सेवा सुनिश्चित होगी।

इ. ठेकेदार को बैंक परिसर की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर स्थित पेंट्री रूम में पेय तैयार करना होगा। तैयारी सबसे स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए। उपयोग किए जाने वाले बर्तनों, कप, स्टिरर को बहुत अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। इसका निरीक्षण बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

ई. दूध, चीनी, चीनी मुक्त विकल्प, कॉफी पाउडर, चाय पाउडर, डिप्स आदि जैसे प्रावधानों के संबंध में व्यवस्थाओं का ठेकेदार द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए। पेय पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित ब्रांडों का ही उपयोग किया जाएगा।

क्रम सं.	पेय	ब्रांड@
1	दूध	आविन/आरोक्य प्रीमियम (फुल क्रीम-ऑरेंज कलर पैकेट) दूध
2	चाय	रेड लेबल/ताजमहल/कोथास

3	काँफी	ब्रू/नरसु/कोथास
4	फ्लेवर्ड टी(डिप्स) - मसाला, अदरक, बादाम, नींबू, इलायची, असम ग्रीन, शहद, नींबू आदि	टेटली/लिप्टन/ऑर्गेनिक इंडिया

@ किसी अन्य ब्रांड के उपयोग के लिए बैंक का पूर्व अनुमोदन होना चाहिए।

क. कर्मचारियों की पसंद के अनुसार पेय पदार्थों की आपूर्ति की जा सकती है।

ख. ठेकेदार को कार्य के लिए नीचे बताए अनुसार न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।

क्र. संख्या	विवरण/पोर्टफोलियो	नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	पर्यवेक्षक	1 (अर्ध-कुशल)
2	पेय पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति के लिए सेवा कर्मचारी	15* (अकुशल)
3	काँफी वेंडिंग मशीन अटेंडेंट / रखरखाव सहायक	1 (अकुशल)

बैंक पेय पदार्थों की आपूर्ति के लिए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी भी कर सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त/कम जनशक्ति की तैनाती की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, राशि को बढ़ाया या घटाया जाएगा और देय राशि का निर्णय आपसी परामर्श और आरडी के पूर्व अनुमोदन पर किया जाएगा।

ग. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है/नौकरी से इस्तीफा देता है तो वह बैंक को पूर्व सूचना देते हुए वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था करे।

घ. भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित किए अनुसार बैंक केवल कार्य दिवसों के लिए विक्रेता द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए केवल न्यूनतम मजदूरी की प्रतिपूर्ति करेगा जो कि समय-समय पर निविदाकर्ता पर अलग से लागू होता है। उपरोक्त कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के अलावा कोई भी अतिरिक्त खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

ड. दूध, काँफी, चाय तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दूध की मात्रा को प्रतिदिन "उपयोग किए गए दूध की मात्रा" रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और

ठेकेदार द्वारा तैनात पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और समय-समय पर बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

- च. ठेकेदार द्वारा एक "फ्लेवर्ड टी (डिप्स) रजिस्टर" रखा जाना चाहिए, जहां डिप्स पैकेटों के आवक स्टॉक, डिप्स पैकेटों की दैनिक आपूर्ति और डिप्स पैकेटों की दैनिक अंतिम स्टॉक की स्थिति दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर को ठेकेदार द्वारा तैनात पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और समय-समय पर बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- छ. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार सौंपे गए कार्यों/सेवाओं को पूरा करेगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो आरबीआई अधिकारियों के निर्देश पर, निविदाकर्ता तुरंत कमी को दूर करेगा और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किए गए अनुसार दंड लगाया जाएगा। (अनुबंध-XII)।
- ज. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति या जानवर को किसी भी चोट या क्षति या कार्य संविदा को निष्पादित करने के लिए बैंक में तैनाती के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- झ. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी श्रमिकों या कर्मचारियों को ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक का ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
- ञ. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को केवल ठेकेदार का कर्मचारी माना जाएगा। ठेकेदार लागू कानूनों के अनुसार अपने वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, भत्ते, लाभ, बीमा और किसी भी अन्य कानूनी बकाया के भुगतान के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा।
- ट. ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि वे बैंक के कर्मचारी नहीं हैं और बैंक के खिलाफ रोजगार, मुआवजे या निरंतरता का कोई दावा नहीं किया जाएगा। ठेकेदार संविदा के तहत लगे श्रमिकों द्वारा उठाए गए किसी भी दावे, विवाद या दायित्व के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- ठ. ठेकेदार सभी लागू केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों, नियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और संबंधित नियम
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- बोनस अधिनियम का भुगतान
- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम
- कामगार मुआवजा अधिनियम
- औद्योगिक विवाद अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- समय-समय पर लागू होने वाला कोई अन्य कानून, नियम या आदेश

ठेकेदार सभी अनिवार्य रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर, लॉग, रिटर्न, रसीदें, वैधानिक प्रेषण, चालान और सत्यापन दस्तावेज बनाए रखेगा और जब भी बैंक या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो, उन्हें प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता, हानि, जुर्माना, दावे या कार्यवाही के खिलाफ बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।

- ड. ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से सभी कर्मचारियों के काम की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की सर्वोत्तम संतुष्टि के अनुसार की जाती हैं।
- ढ. ठेकेदार, उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, चूक, गलती या लापरवाही से बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग या बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।
- ण. ठेकेदार उन सामग्रियों/ब्रांडों का उपयोग करने के लिए सहमत है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता की होंगी। बैंक समय-समय पर ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- त. ठेकेदार अपने कर्मचारियों और बैंक के परिसर में तैनात सामग्रियों की सुरक्षा और

संरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।

- थ. ठेकेदार इस संविदा के तहत कवर की गई सेवाओं के मामले में लागू तमिलनाडु राज्य सरकार के कानून या केंद्र सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा।
- द. ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि बैंक के परिसर में धूमपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त वर्जित है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारी इस नियम का सख्ती से पालन करें।
- ध. ठेकेदार बैंक के परिसर में सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करेगा।
- न. ठेकेदार संविदा को समाप्त किए जाने /समाप्ति होने पर बैंक के परिसर में उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक के परिसर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा नहीं करेंगे।
- न. **कटलरी और क्रॉकरी:** बैंक बर्नर, उपकरण, बर्तन, ट्रॉली, गैस, पानी, बिजली, कप, तश्तरी, क्रॉकरी, कटलरी और अन्य संबंधित वस्तुओं सहित पेय पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। ठेकेदार ऐसी सभी वस्तुओं को उचित देखभाल के साथ संभालेगा और उनके उचित उपयोग, स्वच्छता और सुरक्षित रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- प. ठेकेदार या उसके कर्मियों द्वारा लापरवाही, गलत संचालन, या गैर-जिम्मेदाराना संचालन के कारण होने वाली कोई भी हानि, क्षति या टूट-फूट ठेकेदार से वसूल की जा सकती है। इस तरह के नुकसान के कारण और सीमा के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। सामान्य टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त वस्तुओं का निर्धारण पूरी तरह से बैंक के विवेक पर किया जाएगा। ठेकेदार सामान्य टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त वस्तुओं का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए इन अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
- फ. **साफ-सफाई और स्वच्छता:** ठेकेदार स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करेगा, जिसका बैंक और बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। पेंट्री क्षेत्रों के असंतोषजनक/अस्वास्थ्यकर रखरखाव या प्रदान की गई सेवाओं में चूक या किसी भी टूट-फूट / कमी आदि के मामले में कटौती दंड के रूप में की जाएगी। ठेकेदार हर समय पेंट्री क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखेगा। खराब स्वच्छता या साफ-सफाई के बार-बार खराब पाए जाने पर करार को समाप्त कर दिया जाएगा।
- ब. **सेवा कर्मचारी:** किसी भी समय सेवा कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की आवश्यक

संख्या से कम नहीं होगी। बैंक किसी भी तरह से, ठेकेदार द्वारा नियोजित सेवा कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों या किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को विनम्र, सुसंस्कृत और चौकस होने के अलावा नेम प्लेट वाली साफ-सुथरी वर्दी पहनने के साथ-साथ वे उचित रूप से तैयार होंगे। उन्हें कार्य की मूल बातों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और टेबल सेवा का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। सेवारत कर्मचारियों को वर्दी के साथ हाथ के दस्ताने और उपयुक्त जूते पहनने चाहिए। बैंक किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी को बदलने की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी कार्मिक द्वारा छुट्टी लेने के मामले में, यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह पेंट्री में निर्बाध सेवा और स्थानापन्न व्यवस्था सुनिश्चित करे। विकल्प प्रदान किए बिना अनुपस्थिति के मामले में, बैंक अनुपस्थित कर्मियों की दैनिक मजदूरी के बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाएगा। तथापि, ठेकेदार को कार्मिकों में बार-बार परिवर्तन करने से बचना चाहिए। ठेकेदार को कार्य संभालने के एक महीने के भीतर वार्षिक चिकित्सा जांच और कार्यरत कर्मचारियों के पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन की व्यवस्था करनी होती है और बैंक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें विफल रहने पर बैंक संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केटरर को अपने सभी कर्मचारियों/श्रमिकों का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की सूची के साथ उनके विवरण जैसे नाम, आवासीय पता, आयु आदि के साथ-साथ बैंक के परिसर में तैनात किए जाने वाले अपने कर्मचारियों की नवीनतम फोटो के साथ बैंक को प्रदान करना आवश्यक है। फर्म के केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति होगी जिनका पुलिस सत्यापन पूरा हो चुका है।

- भ. गैर-प्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार और उसके कर्मचारी बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी को जो ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों को प्राप्त हुए है और जो यथोचित रूप से बैंक की निजी या उनके स्वामित्व की जानकारी है तथा जिसके प्रकट होने से बैंक को किसी भी प्रकार से नुकसान होने की उम्मीद की जा सकती है उसे बैंक द्वारा प्राधिकृत या कानून द्वारा आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की ओर से यह दायित्व करार की अवधि के दौरान और करार की अवधि के बाद अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। ठेकेदार और उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी और विवरण को प्रकट नहीं करेंगे, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय उनके कब्जे या जानकारी में आई हो किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे और हर समय इसे कड़ाई से गोपनीय रखेंगे। वह इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर इस करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी

विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। यह किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

म. लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम:

- (i) सफल निविदाकर्ता "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। सफल निविदाकर्ता (ओं) द्वारा जहां लागू हो, इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि की जाएगी।
- ii) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सफल निविदाकर्ता (ओं) के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- iii) सफल निविदाकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में निविदाकर्ता (ओं) के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई मौद्रिक राहत यदि सफल निविदाकर्ता (ओं) के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है।
- iv) सफल निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- v) सफल निविदाकर्ता (ओं) तिमाही आधार पर (प्रत्येक तिमाही के अंत या कार्य/तैनाती की दिनांक से 15 दिनों के भीतर) बैंक की विभिन्न सुविधाओं में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

य. यहां विनिर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक हैं और इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित निष्पादन के लिए यदि आवश्यक समझा जाता है तो यह बैंक को सफल निविदाकर्ता के साथ करार को निष्पादित करने के समय इस तरह आगे निर्धारित शर्तों या अन्य नियमों और शर्तों पर निविदाकर्ता द्वारा सहमत होने या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेगा।

र. बैंक की राय में यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार या

उसके एजेंट/कर्मचारी और/या खराब कार्यनिष्पादन, असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक की राय में स्वयं को दंड (जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) और/या बिना किसी नोटिस या उसके बदले में किसी भी मुआवजे के लिए करार को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- र. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अद्यतन न्यूनतम मजदूरी में भविष्य में की गई वृद्धि की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन की जाएगी।

3. बिलों की प्रस्तुति

अ) ठेकेदार मासिक आधार पर, अगले महीने के दूसरे सप्ताह में या उससे पहले तैनात जनशक्ति को पिछले महीने के वेतन/मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के बाद ही बैंक को बिल प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में प्रमाण मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आ) जहां तक संभव हो, सभी वैधानिक कटौतियों के समायोजन के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर, उन सभी बिलों को प्रस्तुत करने की दिनांक से भुगतान जारी जो सभी मामलों में पूर्ण और उचित हैं। बैंक ठेकेदार को देय राशि से स्रोत पर कर (टीडीएस) और अन्य सभी करों, शुल्कों की कटौती करेगा, जो समय-समय पर लागू होते हैं।

इ) बिल के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा किए जाने चाहिए:

- i. उपस्थिति रजिस्टर
- ii. समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ ईएसआई प्रेषण चालान।
- iii. ईपीएफ प्रेषण चालान, जैसा लागू हो, समेकित विवरण के साथ।
- iv. आवधिक रिटर्न, यदि कोई हो, श्रम आयुक्त, श्रम सुविधा पोर्टल, ईपीएफओ और ईएसआईसी को जमा करने के 07 दिनों के भीतर।
- v. बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारियों के लिए पिछले महीने के वेतन विवरण और क्रेडिट किए जाने का प्रमाण।
- vi. कॉफी वेंडिंग मशीन रीडिंग रजिस्टर (यदि लागू हो)
- vii. उपयोग किए गए दूध की मात्रा और फ्लेवर्ड टी (डिप्स) रजिस्टर।
- viii. ठेकेदार को वार्षिक आधार पर एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि,

वह आईटी अधिनियम की धारा 206 एबी और धारा 206 सीसीए के प्रयोजनों के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

ई) करों और जीएसटी के संबंध में बिलों में दावे, यदि लागू हो, तो आवश्यक रूप से संबंधित महीने के बिल के दस्तावेजी प्रमाण के साथ होना चाहिए। बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार बिल राशि का एक अपेक्षित हिस्सा/बिल राशि का पूरा हिस्सा तब तक रोका जाएगा जब तक कि ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

उ) अन्य सभी शुल्क (वैधानिक शुल्कों के अलावा) करार की अवधि के दौरान तय रहेंगे।

ऊ) सभी भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे जिसके लिए आवश्यक अधिदेश बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

ऋ) ठेकेदार द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में किसी भी आपत्ति को भुगतान की दिनांक से 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

एँ) कॉफी वेंडिंग मशीन की स्थापना और रखरखाव के लिए बिल

1. ठेकेदार मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा जिसमें "कॉफी वेंडिंग मशीन रीडिंग रजिस्टर" के साथ खपत किए गए कर्षों की कुल संख्या बैंक को दी जाएगी।
2. दरों में श्रम की लागत, सामान, कप, स्टिरर, चीनी के क्यूब्स, देशी चीनी के पैकेट, चीनी मुक्त विकल्प, चाय/कॉफी पाउडर आदि शामिल होंगे।

ii) कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर पेय पदार्थों की आपूर्ति के लिए बिल

1. दूध, चाय, कॉफी की आपूर्ति के लिए भुगतान (कीमत में चाय/कॉफी पाउडर, बायोडिग्रेडेबल कप, लकड़ी के स्टिरर, चीनी/देशी चीनी/चीनी के क्यूब्स/चीनी मुक्त विकल्प आदि जैसी सभी सामग्री शामिल हैं) उपयोग किए गए दूध रजिस्टर की मात्रा के आधार पर होगा।
2. फ्लेवर्ड टी (डिप्स) की आपूर्ति के लिए भुगतान फ्लेवर्ड टी (डिप्स) रजिस्टर पर आधारित होगा।
3. न्यूनतम मजदूरी और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को समय-समय पर मुख्य

श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा जो हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

बोलीदाताओं को अनुदेश

1. निविदाकर्ता निविदाओं के लिए निमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से निविदा दस्तावेज प्राप्त करेगा; अन्यथा, बैंक निविदा दस्तावेज की अपूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। कोट किए गए दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दर पर विचार किया जाएगा।
3. निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी/कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।
4. कोट किया गया मूल्य केवल भारतीय रुपये में होगा और करों को छोड़कर।
5. निविदाकर्ता (ओं) द्वारा या उनकी ओर से या उनके चयन के बारे में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी पक्ष प्रचार से निविदा प्रक्रिया से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्य माने जाने को वहां भी लागू किया जाएगा।
6. सभी निविदाएं सभी अनुलग्नकों/संलग्नकों/अनुबंधों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना बैंक द्वारा तत्काल और तुरंत खारिज कर दी जाएंगी।
7. फैक्स या ईमेल या विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निर्धारित ईएमडी के बिना या निर्धारित राशि से कम के साथ प्राप्त बोली प्रस्तावों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
9. नियत दिनांक और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
10. निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक और निविदा में विनिर्दिष्ट निविदा वैधता

अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।

11. वैकल्पिक प्रस्तावों/पूरा होने के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. बैंक निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियां खोलने की दिनांक बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. बैंक किसी भी / सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी दायित्व या उसके किसी कारण के निविदा पात्रता की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. बैंक निविदाकर्ता के पिछले/वर्तमान ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में मौके पर प्रत्यक्ष जानकारी के लिए वर्तमान संविदा (संविदाओं) पर साइट (साइटों) का निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम को भी प्रतिनियुक्त करता है। ठेका प्रदान करने के संबंध में बैंक का निर्णय पिछले और वर्तमान ग्राहकों और इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त अपनी टीम (टीमों) से प्राप्त फीडबैक पर निर्भर करेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
15. उप-संविदा : बैंक की लिखित सहमति के बिना ठेकेदार द्वारा गतिविधियों या संविदा के किसी भी हिस्से को उप-संविदा पर नहीं दिया जा सकता है। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार के खिलाफ अपनाए जाने वाले अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।
16. ठेकेदार उक्त परिसर में, उक्त पेंट्री या सीवीएम चलाने के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा। केटरर बैंक की अनुमति के बिना उक्त परिसर में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।
17. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिनमें शामिल हैं:
 - अ) ऐसे किसी भी कर्मचारी का शीघ्र प्रतिस्थापन करना जिसका कार्य निष्पादन असंतोषजनक हो अथवा जिसकी उपस्थिति बैंक के हितों के लिए हानिकारक मानी जाती हो ।
 - आ) तैनात कर्मचारियों से संबंधित सभी बीमा और सुरक्षा पहलू एजेंसी की देयता होगी और बीमा पॉलिसी की प्रति ठेकेदार द्वारा बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी जमा करने में विफल रहता है, तो आनुपातिक आधार पर प्रीमियम बिलों से काटा जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

18. निविदाएं जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/एमएसटीसी ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है।
19. जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।
20. भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
21. निविदाकर्ता निविदा तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
22. निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- निविदा आमंत्रित करने की सूचना
 - तकनीकी बोली विवरण (भाग-I)
 - वित्तीय बोली विवरण (भाग- II)
 - बयाना जमाराशि (ईएमडी)।
23. निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल क्लास 3 हस्ताक्षर का उपयोग करके निविदा जमा करेंगे। सभी रिक्त स्थानों को मांगी गई जानकारी से भरा जाएगा।
24. **निविदाओं की वैधता:**
- अ) कीमतों के साथ ई-निविदा भाग- I/तकनीकी बोली के खुलने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे बैंक द्वारा लिखित रूप में करार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द या वापस नहीं लेंगे या कोट की गई दरों को नहीं बदलेंगे।
- आ) बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- इ) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित मूल्य के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूति जमाराशि जमा करने में विफल रहता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करार को निष्पादित करने में विफल रहता है तो बैंक निविदा को समाप्त कर सकता है।
- ई) सफल बोलीदाता को कार्य प्रदान करने के संबंध में पत्र जारी होने की दिनांक से 10 दिनों की अवधि के भीतर एक करार निष्पादित करना होगा और प्रतिभूति जमाराशि या बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यदि चयनित एजेंसी निविदा प्रदान करने के 10

दिनों के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है या नियत दिनांक पर काम शुरू करने में विफल रहती है तो कार्य प्रदान करने वाले पत्र को रद्द माना जाएगा, उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और बोलीदाता जोखिम, लागत और बैंक द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।

- उ) संविदा पूर्ण रूप से लागू होगी और कार्य प्रदान करने संबंधी पत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगी। संविदा करार के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टॉप शुल्क और इसी तरह के शुल्क (यदि कोई हो) की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रतिभूति जमाराशि / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जमा कर देने और बैंक के साथ संविदा करार निष्पादित कर देने के बाद सफल बोलीदाता के ईएमडी को बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा और इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को संविदा प्रदान किए जाने बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त खंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी को रद्द करने और जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

25. निविदा प्रतिभूति के रूप में बयाना जमाराशि (ईएमडी):

- अ) निविदाकर्ता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना आवश्यक है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- आ) असफल बोलीदाताओं की ईएमडी संविदा प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि निविदा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- इ) ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- ई) जमा ईएमडी निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जाएगा।
- उन निविदाकर्ताओं के लिए जो निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक को झूठी/जाली जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।
 - यदि विक्रेता/ठेकेदार वाणिज्यिक/वित्तीय बोली खोलने के बाद बोली वापस ले लेता है।

iii. यदि विक्रेता/ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे सौंपे गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है।

उ) इच्छुक निविदाकर्ता (ओं) को भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, चेन्नै को ईएमडी के रूप में ₹89,040/- (रुपये नवासी हजार चालीस मात्र) की राशि एनईएफटी द्वारा निम्नलिखित खाते में जमा करनी होगी:

खाता नाम: एनईएफटी - आंतरिक

खाता संख्या: 186003001

आईएफएस कोड: RBIS0CNPA01 (पांचवां और दसवां अंक "शून्य" है और अंग्रेजी अक्षर "ओ" नहीं है) कृपया विवरण में "ईएमडी - एचआरएमडी निविदा - <कंपनी का नाम>" लिखें।

26. निविदाएं जमा करना और खोलना:

अ) इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में अनुदेशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

आ) निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल में ऑनलाइन भरी जानी चाहिए) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और दिनांक पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

इ) यदि वांछित/निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

27. निविदाएं जमा करने की अंतिम दिनांक:

अ) निविदाएं इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इस दस्तावेज में इंगित दिनांक और समय से पूर्व ऑनलाइन भरी जानी चाहिए।

आ) बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

इ) पोर्टल पर समय सीमा के बाद किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28. निविदा खोलना:

बैंक अधिसूचित दिनांक पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।

29. निविदाओं का स्पष्टीकरण:

अ) परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और निविदाकर्ता (ओं) की योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता (ओं) से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता (ओं) द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा किए गए अनुरोध के प्रतिउत्तर में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पाई गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के अतिरिक्त निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा, या अनुमति दी जाएगी।

आ) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध पर निर्धारित दिनांक और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

30. निविदा मूल्यांकन और तुलना:

अ) बैंक खंड VI (पैरा 32) में दर्शाए गए मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा।

आ) बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता (ओं) योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं।

इ) बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय निविदाकर्ता (ओं) के लिए बैंक पर कोई दायित्व बने बिना या कोई कारण विनिर्दिष्ट किए बिना सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. मूल्यांकन/चयन मानदंड - तकनीकी बोली

अ) केवल उन बोलीदाताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन बैंक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जो पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। केवल वे तकनीकी स्कोर वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिनका तकनीकी स्कोर (टीएस) 50 या उससे अधिक होगा। निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके बोलीदाताओं को तकनीकी स्कोर (टी) दिए जाएंगे:

आ) केवल उन बोलीदाताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा जो पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके बोलीदाताओं को तकनीकी स्कोर (टी) दिए जाएंगे:

मानदंड I	<p>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बड़े प्रतिष्ठानों/कंपनियों आदि की संख्या जिनमें बोलीदाता ने पिछले 5 वर्षों में इसी तरह के कार्य प्रदान किए हैं। <u>{उसी का प्रमाण (कार्य आदेश/कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र) प्रस्तुत किया जाना है}</u> (अधिकतम 20 अंक)</p> <table border="1" data-bbox="478 434 1181 663"> <tr> <th>ग्राहकों की संख्या</th><th>अंक</th></tr> <tr> <td>1 से 10 ग्राहक</td><td>10 अंक</td></tr> <tr> <td>11 से 20 ग्राहक</td><td>15 अंक</td></tr> <tr> <td>21 ग्राहक और उससे अधिक</td><td>20 अंक</td></tr> </table>	ग्राहकों की संख्या	अंक	1 से 10 ग्राहक	10 अंक	11 से 20 ग्राहक	15 अंक	21 ग्राहक और उससे अधिक	20 अंक
ग्राहकों की संख्या	अंक								
1 से 10 ग्राहक	10 अंक								
11 से 20 ग्राहक	15 अंक								
21 ग्राहक और उससे अधिक	20 अंक								
मानदंड II	<p>संगठन के कार्मिकों की कुल संख्या जहां निविदाकर्ता ने पिछले 3 वर्षों के दौरान सेवाएं प्रदान की हैं। (अधिकतम 20 अंक) #</p> <table border="1" data-bbox="483 884 1193 1126"> <tr> <th>संगठन के कार्मिकों की संख्या</th><th>अंक</th></tr> <tr> <td>200 तक</td><td>10</td></tr> <tr> <td>201 - 400</td><td>15</td></tr> <tr> <td>401 और उससे अधिक</td><td>20</td></tr> </table>	संगठन के कार्मिकों की संख्या	अंक	200 तक	10	201 - 400	15	401 और उससे अधिक	20
संगठन के कार्मिकों की संख्या	अंक								
200 तक	10								
201 - 400	15								
401 और उससे अधिक	20								
मानदंड III	<p>31 मार्च, 2024 तक पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसत टर्नओवर। (अधिकतम 10 अंक)</p> <table border="1" data-bbox="483 1352 1182 1626"> <tr> <th>कारोबार</th><th>अंक</th></tr> <tr> <td>₹50 लाख से ₹2 करोड़</td><td>05</td></tr> <tr> <td>₹2 करोड़ से ₹10 करोड़</td><td>07</td></tr> <tr> <td>₹10 करोड़ और उससे अधिक</td><td>10</td></tr> </table>	कारोबार	अंक	₹50 लाख से ₹2 करोड़	05	₹2 करोड़ से ₹10 करोड़	07	₹10 करोड़ और उससे अधिक	10
कारोबार	अंक								
₹50 लाख से ₹2 करोड़	05								
₹2 करोड़ से ₹10 करोड़	07								
₹10 करोड़ और उससे अधिक	10								

मानदंड IV	<p>वर्तमान समान सुविधाओं पर बोलीदाता द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, स्वच्छता, सेवाएं, कर्मचारियों की उपस्थिति और स्वच्छता का स्तर (साइट विजिट रिपोर्ट के आधार पर बैंक द्वारा तय किया जाना है, इस संबंध में बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा) - (अधिकतम 45 अंक)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ उत्कृष्ट - 45 अंक ➤ बहुत अच्छा - 35 अंक ➤ अच्छा - 20 अंक ➤ खराब - 15 अंक ➤ बहुत खराब - 5 अंक
मानदंड V	<p>निम्नलिखित में से कोई भी आईएसओ प्रमाणपत्र धारण करना। (अधिकतम 5 अंक)</p> <p>आईएसओ-22000:2018 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) - 4 अंक</p> <p>अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र - 1 अंक</p> <p>आईएसओ-9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली)</p> <p>आईएसओ-41001:2018 (सुविधा प्रबंधन प्रणाली)</p> <p>आईएसओ-45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)</p>

सभी ग्राहक प्रमाणपत्रों में से अधिकतम संख्या वाले संगठन के प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा जहां आवेदक वर्तमान में खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है।

नोट I: केवल न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली बोलियां (यानी, उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 100 अंकों में से 50 अंक) को केवल वित्तीय बोली में आगे के मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

साइट विजिट क्वालिटी चेक (मानदंड IV) में "खराब" या "बहुत खराब" रेटिंग स्कोर करने वाले किसी भी ठेकेदार को वित्तीय बोली में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, भले ही प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और स्कोर प्रदान किए गए हों।

नोट II: बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन के दौरान विचार किए जा रहे मापदंडों के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

नोट III: बोलीदाता ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसके द्वारा रखी जा रही समान साइटों का बैंक अधिकारियों द्वारा कार्यनिष्पादन का पता लगाने के लिए निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करेगा।

नोट IV: बोलीदाता द्वारा दस्तावेज जमा न करने पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

नोट V : निविदाकर्ता (ओं) द्वारा मानक प्रारूप का फार्म-1 के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय बोली में टाई की स्थिति में, उच्च तकनीकी स्कोर (टीएस) वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा।

नोट VI: निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी तरीके से झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से ऐसी बोली/ संविदा को रद्द / अस्वीकृति किया जा सकता है और ईएमडी/एसडी जब्त कर ली जाएगी।

32. निविदा प्रदान किया जाना

अ) बैंक उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकर्ताओं (ओं) को शॉर्टलिस्ट करेगा।

आ) मूल्यांकन समिति यह निर्धारित करेगी कि वित्तीय बोलियां पूर्ण हैं या नहीं (यानी, क्या उन्होंने संबंधित प्रस्तावों में सभी मदों को शामिल किया है)। यदि नहीं, तो समिति उनकी लागत निकालेगी और उनकी लागत को प्रारंभिक कीमत में जोड़ देगी, और किसी भी कम्प्यूटेशनल त्रुटियों को ठीक करेगी। बोलीदाता को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि इसकी बोली की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इ) बोलियों का मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। सबसे कम कुल भारित स्कोर को 100 का वित्तीय स्कोर (एफएस) दिया जाएगा। अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए वित्तीय स्कोर (एफएस) की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: $FS = 100 \times (FM/F)$, जहां:

- F_s = मूल्यांकन के तहत बोली लगाने वाले का वित्तीय स्कोर
- FS = सभी बोलीदाताओं के बीच सबसे कम कुल भारित स्कोर
- F = विचाराधीन बोलीदाता का कुल भारित स्कोर

ई) प्रस्तावों को उनके संयुक्त स्कोर (एस) के अनुसार रैंक किया जाएगा, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी: $एस = (टीएस \times टी) + (एफएस \times एफ)$, जहां:

- TS = तकनीकी स्कोर
- F_s = वित्तीय स्कोर
- $t = 0.50$ (तकनीकी स्कोर को दिया गया भार)
- $f = 0.50$ (वित्तीय स्कोर को दिया गया भार)

- उ) उच्चतम संयुक्त स्कोर (एस) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को सबसे कम बोलीदाता (एल 1) घोषित किया जाएगा और संविदा प्रदान की जाएगी। विस्तृत प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन के लिए, कृपया निविदा दस्तावेज़ के पृष्ठ 58-59 पर "L1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया" देखें।
- ऊ) जब तक एक औपचारिक करार तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा प्रदान करने की अधिसूचना एक बाध्यकारी करार मानी जाएगी। सफल निविदाकर्ता (ओं) कार्य के आवंटन की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर पूरे कार्य को संभालेंगे।
- ऋ) सफल निविदाकर्ता (ओं) को कार्य प्रदान किए जाने के 2 सप्ताह के भीतर मूल्य(यथालागू) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। स्टॉप शुल्क निविदाकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य आदेश जारी करने को एक बाध्यकारी करार के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इसे एक करार के रूप में निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस करार पर लागू होंगी। करार और संबंधित दरें पांच (5) महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध रहेंगी, जिसमें बैंक द्वारा आयोजित ठेकेदार के औपचारिक कार्यनिष्पादन की समीक्षा पर विस्तार का विकल्प निर्भर होगा। इस तरह का विस्तार बैंक के विवेकाधिकार पर होगा, जो ठेकेदार के सहमत सेवा स्तरों, गुणवत्ता बेंचमार्क और संविदात्मक दायित्वों के पालन पर आधारित होगा।

एँ) प्रतिभूति जमा: -

- (i) सफल आवेदक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रतिभूति जमा (कार्य प्रदान करने से पहले बैंक से कार्य निष्पादन बैंक गारंटी-प्रोफार्मा (अनुबंध-VII) के रूप में भी हो सकता है) प्रस्तुत करेगा। प्रतिभूति जमा की दर संविदा अवधि के लिए संविदा मूल्य (जीएसटी सहित, यदि कोई हो) का 5% होगी।
- (ii) ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू होने से पहले प्रतिभूति जमा राशि जमा की जानी चाहिए। ठेका देने के लिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है। करार की अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा के लिए ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- (iii) प्रतिभूति जमा करने में विफलता को संविदा के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के रूप में माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप संविदा की पेशकश रद्द हो जाएगी और आवेदक आरबीआई द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तुत ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।
- (iv) संविदा की अवधि पूरी होने के दो महीने बाद ही संविदा के सफल समापन से संतुष्ट

होने और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी नहीं होने के बाद ही प्रतिभूति जमा राशि बिना ब्याज के जारी की जाएगी। किसी भी शिकायत के मामले में, सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ठेकेदार की ओर से विफलताओं के कारण या परिसमापन/दिवालियापन या संरचना में परिवर्तन के कारण संविदा की समाप्ति के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को हुए नुकसान के लिए प्रतिभूति जमा के किसी भी भाग या पूरी राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के नुकसान, क्षति, प्रभार, व्यय या लागत के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा और निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
- (vi) सफल बोलीदाता द्वारा संविदा मूल्य के 5% के लिए प्रतिभूति जमाराशि या प्रतिभूति राशि के बदले में संविदा मूल्य की 5% की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार (अनुबंध-VII) जमा करता है और बैंक के साथ संविदा करार को निष्पादित करता है तो सफल बोलीदाता की ईएमडी को बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलीदाताओं का ईएमडी संविदा प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।
- (vii) यदि ठेकेदार संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले संविदा को समाप्त कर देता है, तो प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

खंड VII
सामान्य नियम और शर्तें

1. बैंक यह अपेक्षा करता है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता करार/कार्य की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:
 - अ) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:
 - आ) "भ्रष्ट प्रथाएं" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना।
 - इ) "धोखाधड़ी कार्य" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए।
 - ई) "अवरोधक कार्य" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या बाधित करने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना ; और
 - उ) "मिलीभगत" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है।
 - ऊ) यदि यह पता चलता है कि कार्य प्रदान करने के लिए अनुशंसित निविदाकार(रों) ने संदर्भाधीन निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित प्रथाओं में भाग लिया है तो कार्य प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा;
 - ऋ) यदि यह पता चलता है कि कार्य प्रदान करने के लिए अनुशंसित निविदाकार(रों) ने संदर्भाधीन निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित प्रथाओं में भाग लिया है तो निविदाकार(रों) को अनिश्चितकालीन या एक निर्धारित अवधि तक अपात्र घोषित कर सकता है;
2. सफल निविदाकर्ता कार्य प्रदान किए जाने के पत्र की प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार को निष्पादित करेगा। करार को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल को अपने पास रखेगा और निविदाकर्ता को डुप्लिकेट दिया जाएगा। स्टॉप शुल्क का वहन और भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
3. इस निविदा/करार से जुड़े किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, करार को रद्द करने के अलावा ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है/लागू की जा सकती है।

4. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** बैंक द्वारा प्राधिकृत या कानून द्वारा आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार और उसके कर्मचारी उन्हें प्राप्त बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेंगे जो कि यथोचित रूप से बैंक की निजी या स्वामित्व की जानकारी है और जिसके जारी होने से बैंक को किसी भी तरह से नुकसान होने की संभावना हो सकती है। ठेकेदार और उसके स्टाफ के संबंध में यह दायित्व इस करार की अवधि और करार समाप्त होने की अवधि से अनिश्चित काल तक के लिए बना रहेगा। ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि के बारे में किसी भी जानकारी/सामग्री/विवरणों को सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो संविदा के निष्पादन के दौरान उसके पास या उसके संज्ञान में आए हों, और उन्हें सभी समय कड़ी गोपनीयता के साथ रखेगा। संविदा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक होने को छोड़कर ठेकेदार संविदा के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कहीं कार्य के किसी भी विवरण को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रकाशित, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से करार का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा।

5. **श्रम कानून, मजदूरी और प्रमुख नियोक्ता:**

अ) ठेकेदार सभी लागू श्रम और रोजगार कानूनों, केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, कामगार प्रतिकर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं और संशोधन शामिल हैं और ये केवल सीमित नहीं हैं।

आ) ठेकेदार:

- i. इस संविदा के तहत तैनात सभी व्यक्तियों को **न्यूनतम मजदूरी और लागू परिवर्तनीय महंगाई भत्ता** भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा संबंधित श्रेणी के लिए और वास्तविक कार्य दिवसों के लिए भुगतान करेगा;

- ii. ईपीएफ, ईएसआईसी और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया राशि जैसे सभी वैधानिक योगदानों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करेगा;
 - iii. मासिक आधार पर बैंक को मजदूरी के भुगतान का प्रमाण और सांविधिक अंशदान जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, साथ ही ऐसे रिटर्न/विवरण जिनकी बैंक को यथोचित रूप से आवश्यकता हो।
- इ) ठेकेदार लागू श्रम कानूनों के तहत निर्धारित सभी रजिस्टर, रिकॉर्ड, मजदूरी पुस्तिका, वेतन पर्ची, रिटर्न, रसीदें और अन्य दस्तावेज बनाए रखेगा, और मांग पर बैंक द्वारा या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक हो, प्रासंगिक पंजीकरण, प्रेषण और रिटर्न की प्रतियां बैंक को प्रस्तुत की जाएंगी।
- ई) यदि, प्रधान नियोक्ता के रूप में या अन्यथा, बैंक को किसी भी कानून के तहत अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में ठेकेदार की किसी भी विफलता या चूक के कारण ठेका श्रमिकों या किसी सांविधिक प्राधिकरण को कोई भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो बैंक किसी भी आकस्मिक लागत के साथ इस प्रकार भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली करने का हकदार होगा। ठेकेदार से और/या किसी भी देय राशि से समायोजन द्वारा, जिसमें प्रतिभूति जमा/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी शामिल है।
6. यहां विनिर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक हैं। ये बैंक को सफल निविदाकर्ता के साथ करार को निष्पादित करने के समय इसे आगे बढ़ाने या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने या इस निविदा के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यों के उचित और यथोचित निष्पादन के लिए आवश्यकता होने पर यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या हटाने से नहीं रोकेंगी।
7. बैंक की राय में यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने वाला निविदाकर्ता या उसके एजेंट/कर्मचारी और/या खराब कार्य निष्पादन करने, असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करने वालों पर पैनल्टी लगाई जा सकती है (जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) और/या निविदाकर्ता बिना किसी नोटिस या उसके बदले में किसी भी मुआवजे के करार की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
8. उपरोक्त पर कोई प्रतिकूल डाले बिना निविदाकर्ता के साथ यह व्यवस्था इसके दिवालिया होने के मामले में समाप्त हो जाएगी।
9. **विवाद समाधान:**
- अ) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

आ) करार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै को भेजा जाएगा और लिखित रूप में उसका निर्णय अंतिम और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझाया गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल चेन्नै होगा। किसी भी कानूनी विवाद को निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान माध्यम का उपयोग केवल आपसी सहमति से किया जा सकता है।

10. अप्रत्याशित घटना:

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के होते हुए न तो निविदाकर्ता और न ही बैंक इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी होगा यदि इस तरह की देरी इसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है [जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, दैवीय कृत्य, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित)] के कारण होने वाली कोई देरी शामिल हैं], बशर्ते निविदाकर्ता द्वारा किसी भी विलंब से उस निविदाकर्ता को विलंब के लिए दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा विलंब संबंधित निविदाकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर है।

11. अस्वीकरण

अ) हालांकि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान रखा गया है, निविदाकर्ता खुद को संतुष्ट करेगा कि दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की दिनांक से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता (ओं) से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है।

आ) बैंक सभी प्रारूपों और अनुबंधों सहित इस दस्तावेज़ को बदलने, संशोधित करने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इ) हालांकि यह दस्तावेज़ सद्भाव से तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उसके कर्मचारी या परामर्शदाता यहां किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं, और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, नियम या विनियम के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही उनके द्वारा किसी भी कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या क्षति हो जाए।

12. गोपनीयता कथन

- अ) इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में निविदाकर्ता (ओं) को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या बैंक की ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा दस्तावेजी रूप में, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसी सूचना उपलब्ध करवाने के अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
- आ) इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
- इ) प्रत्येक निविदाकर्ता (ओं) के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल करने का इस निविदा दस्तावेज का अभिप्राय नहीं है।
- ई) यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने और इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।
- उ) प्रत्येक निविदाकर्ता (ओं) को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
- ऊ) बैंक और इसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, सांविधि, नियमों या विनियमों के तहत उनका कोई दायित्व नहीं होगा।
- ऋ) यह दस्तावेज और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और पूरी तरह से निविदाकर्ता (ओं) के उपयोग के लिए है।
- एँ) निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ता (ओं) या किसी अन्य व्यक्ति को जो आधिकारिक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि संविदा प्रदान किए जाने की जानकारी सभी निविदाकर्ताओं (ओं) को सूचित नहीं की जाती है।

13. करार की विशिष्ट शर्तें (एससीए)

- अ) यदि करार किया जाता है तो यह 01 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
14. ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेटर्स/कर्मचारियों को सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने प्रदान किया जाए।
15. ठेकेदार अपने कार्यबल (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) के लिए नीचे दी गई चिकित्सा जांच करवाएगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि कॉफी/चाय तैयार करने में तैनात

कर्मों किसी भी संक्रामक या संचारी रोगों से मुक्त हैं और उनके नियमित स्वास्थ्य जांच (वर्ष में एक बार) की व्यवस्था करेगा। स्वास्थ्य जांच की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी न कि आरबीआई द्वारा। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य कार्य प्रारंभ होने की दिनांक और किसी भी नए कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 30 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

I. एचबीएसएजी।

II. पूर्ण रक्त गणना।

III. सामान्य स्वास्थ्य जांच।

16. ठेकेदार आरबीआई, चेन्नै के परिसर में अपने द्वारा तैनात किए जाने वाले कार्यबल की नवीनतम फोटो के साथ नाम, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात ठेकेदार के कर्मचारियों की उचित पहचान के लिए वह उचित वर्दी और पहचान पत्र जारी करेगा जिसमें उनकी फोटो/पहचान पत्र आदि शामिल हों और ऐसे कर्मचारी हमेशा बैंक के परिसर में अपनी उपस्थिति के दौरान अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे। कर्मचारियों के किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत ओएलडीआर डेस्क, एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै को दी जाए।
17. यदि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति ठेकेदार द्वारा व्यक्त, निहित या स्पष्ट रूप से कार्यकुशलता के स्तर तक नहीं आता है या अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कृत्यों या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो ठेकेदार ऐसे व्यक्तियों (व्यक्तियों) को तुरंत हटाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों (व्यक्तियों) के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेगा। आगे, ठेकेदार आरबीआई, चेन्नै द्वारा मांग किए बिना भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।
18. ठेकेदार स्वयं या उसके कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और वह बैंक के लोगों और/या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
19. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा राशि का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै द्वारा तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण या ठेकेदार द्वारा करार के उल्लंघन की स्थिति में असंतोषजनक कार्य निष्पादन और/अथवा हानि/क्षति, यदि कोई हो, की स्थिति में किया जाएगा।
20. ठेकेदार बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं लगाएगा।
21. ठेकेदार इस प्रकार तैनात किए गए अपने कर्मचारियों के संबंध में किसी भी गैरकानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेगा

और आरबीआई, चेन्नै के व्यक्ति और संपत्ति की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

22. ठेकेदार करार को समाप्त किए जाने या समाप्ति पर आरबीआई, चेन्नै के परिसर से उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को हटाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आरबीआई, चेन्नै में स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा नहीं करेगा।

23. क्षतिपूर्ति:

ठेकेदार आरबीआई, चेन्नै को निविदाकर्ता द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। यदि इस प्रकार तैनात ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में शामिल होता है तो यह निविदाकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह इसका विरोध करे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले का प्रतिवाद करना पड़ता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई, चेन्नै पर किसी भी संबंध में कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व नहीं आता है और इस संबंध में वह आरबीआई, चेन्नै को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

24. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति आरबीआई, चेन्नै के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर से कोई भी वस्तु/सामग्री नहीं ले जाए। निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति निविदाकर्ता के कर्मचारी होंगे और न तो निविदाकर्ता और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा। काम के लिए तैनात ठेकेदार/व्यक्तियों और बैंक के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा।

25. सफल निविदाकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसका निविदाकर्ता के कर्मचारियों से जुड़ी दुर्घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

26. समाप्ति नीति:

अ) बैंक किसी भी प्रकार की सेवाओं/दिवालियापन, खराबी/कमी, अनियमित गतिविधियों, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सामग्री, स्वच्छता आदि में असंतोषजनक/कमी होने पर 15 दिनों के नोटिस पर जुर्माना लगाने और यहां तक कि संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी विवाद के मामले में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे में ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

आ) आपसी सहमति से समाप्ति: जो ठेकेदार आपसी सहमति से संविदा को समाप्त करना चाहता है, वह उसके कारण (ओं) को विनिर्दिष्ट करके नोटिस देगा। बैंक द्वारा स्वीकृत

किए जाने पर बैंक द्वारा स्वीकृति के दिन से 30 दिनों के बाद संविदा को पारस्परिक सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

27. ठेकेदार की ओर से करार के किसी भी नियम और शर्तों की किसी भी विफलता या उल्लंघन की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम करवाने का अधिकार होगा। बैंक द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत, हानि, यदि कोई हो तो, ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

28. ठेकेदार संविदा को उप-किराए पर नहीं देगा। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के मामले में,

बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बैंकों का विवरण

(आवेदक के पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

ब्यौरे	बैंकर 1	बैंकर 2 (यदि कोई हो)
बैंक का नाम		
शाखा का नाम		
आईएफएससी कोड		
शाखा का ईमेल-आईडी		
शाखा का डाक पता		
शाखा का टेलीफोन नंबर/ मोबाइल नंबर		
खाते का प्रकार और खाता संख्या (बचत/वर्तमान/नकद क्रेडिट)		
वह अवधि जिससे निविदाकर्ता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है (वर्षों और महीनों की संख्या निर्दिष्ट करें)।		
कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता अपने बैंकों के बारे में प्रस्तुत करना चाहता है		

हस्ताक्षर, मुहर, दिनांक

अनुसूचित बैंक से बैंकों के प्रमाणपत्र का प्रपत्र

[इसकी व्यवस्था निविदाकर्ता (ओं) द्वारा की जानी है]

(बैंकर द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

1. फर्म की संरचना (क्या भागीदारी /एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड है।)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम।
3. पिछले 3 लगातार वर्षों (वर्षवार) के लिए फर्म का टर्नओवर।
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5. व्यवहार की प्रकृति और उस संबंध में विचार
6. वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है
7. कोई अन्य टिप्पणी।
8. इस पर विचार कि क्या पार्टी को ₹44,52,000/- की अनुमानित लागत वाले कार्य सौंपे जाने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है।

(हस्ताक्षर)

बैंक शाखा का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट:

1. बैंकर का प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए।
2. प्रमाणपत्र में बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध सभी भागीदारों और निदेशकों के नाम शामिल किए जाने चाहिए।

निविदाकर्ता (ओं) के कार्य निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र
(ग्राहक द्वारा उसके पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

1.	ग्राहक का नाम और पता	
2.	मैसर्स.....द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण	
3.	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
4.	करार सं. और दिनांक	
5.	करार की राशि	
6.	उस संगठन की कुल संख्या जहां निविदाकर्ता ने सेवाएं प्रदान की हैं	
7.	करार के शुरू होने की दिनांक	
8.	करार समाप्ति की दिनांक	
9.	ग्राहक के साथ संबंध की अवधि	
10.	प्रदान की गई सेवाओं में कमियों, यदि कोई हो, के लिए लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा (जुर्माना लगाने की दिनांक, जुर्माने की राशि और कारण)	
11.	करार के दौरान ग्राहक के साथ विवादों का विवरण, यदि कोई हो	
12.	निविदाकर्ता द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया	
13.	प्रदान की गई सेवाओं की रेटिंग: उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब	
14.	सिफारिश, यदि कोई हो या कोई अन्य प्रतिक्रिया	
15.	ग्राहक के कार्यस्थल पर तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	

(ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भाग-1: तकनीकी बोली

(आवेदक के पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता:

संपर्क नंबर: _____

ई मेल आईडी- _____

क्रम संख्या	ब्यौरे	
1.	संगठन का नाम	
2.	(ए) संगठन का प्रकार - (क्या प्रोपराइटरशिप/भागीदारी/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड)। (b) स्थापना की दिनांक (ग) पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, दिनांक, संख्या आदि का विवरण (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। (कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।	
3.	पदनाम के साथ संगठन के प्रोपराइटर/भागीदार/निदेशकों का नाम और पता	
4.	संगठन का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता: (क) क्या इसका कार्यालय चेन्नै में है (b) चेन्नै में स्थानीय कार्यालय का पता (ग) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर	

	(कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)		
5	पैन नंबर	कृपया एमएसटीसी पोर्टल में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें	
	ईएसआईसी पंजीकरण संख्या		
	श्रम लाइसेंस नंबर (यदि उपलब्ध हो)		
	जीएसटी पंजीकरण संख्या		
	एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर		
6	अनुभव प्रमाणपत्र: इसी प्रकार के कार्यों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव यानी कॉफी / चाय वैडिंग मशीन की स्थापना और रखरखाव और सरकारी विभागों / बैंकों / प्रतिष्ठित सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के संस्थानों में कॉफी / चाय सेवाएं प्रदान करना।		
7	पिछले तीन वित्तीय वर्षों वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न की पावती संख्या।		
8	क्या ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है। यदि हाँ, तो पंजीकरण की दिनांक इंगित करें। (प्रमाणपत्र/पंजीकरण की एक प्रति जमा की जानी है)।		
9	बैंकों का नाम और पता (जहां खाता है)।		
10	वर्तमान ग्राहकों का नाम और पता पूरी जानकारी के साथ। अनुबंध III के अनुसार शीर्ष दो वर्तमान ग्राहकों से, अधिमानतः चेन्नै में, प्रतिक्रिया अपेक्षित है।		

11	बैंक खाता विवरण (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहां संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
12	क्या इसी तरह के व्यवसाय के संबंध में किसी भी प्राधिकरण और/या ग्राहक द्वारा काली सूची में डाला गया/बर्खास्त/सूची से हटाया जाना /प्रतिबंधित/दंडित/दोषी ठहराया गया। यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण:	
13	निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी (बयाना जमाराशि) का विवरण	
	₹89,040/- (रुपये नवासी हजार चालीस मात्र): -	
	यूटीआर नंबर	
	लेन-देन की दिनांक	
	बैंक का नाम और आईएफएससी कोड	
14	क्या किसी भी कारण से पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी सार्वजनिक/निजी संगठन द्वारा निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है।	हां / नहीं

हस्ताक्षर, सील, दिनांक, स्थान

जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची

1. पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, दिनांक, संख्या आदि का विवरण।
2. चेन्नै में पंजीकृत कार्यालय / उप कार्यालय के लिए दस्तावेजीय प्रमाण।
3. बैंकों का विवरण (अनुबंध I)
4. बैंकर/शोधक्षमता प्रमाणपत्र (अनुबंध II)
5. वर्तमान में अन्य संगठनों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभव प्रमाणपत्र। (अनुबंध III)
6. बोलीदाताओं को अनुदेश (खंड VI)
7. सामान्य नियम और शर्तें (खंड VII)
8. पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों की ग्राहक सूची/विवरण (अनुबंध-VI)
9. किसी भी अपराध/लंबित मामले की दोषसिद्धि न होने की घोषणा (अनुबंध VIII)
10. घोषणा (अनुबंध IX)
11. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
12. सीए द्वारा प्रमाणित लेखाविवरण/तुलन पत्र , पिछले तीन वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षित लाभ/हानि विवरण - वार्षिक कारोबार प्रमाणपत्र
13. श्रम विभाग पंजीकरण प्रमाणपत्र
14. आईएसओ प्रमाणपत्र
15. एफएसएसआई प्रमाणपत्र और लाइसेंस
16. जीएसटी/पैन/पीएफ/ईएसआई पंजीकरण।
17. निम्नलिखित की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां: -

- बोलीदाताओं को अनुदेश खंड VI
- सामान्य नियम और शर्तें खंड VII

नोट: निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी तरीके से झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से ऐसी बोली/संविदा को रद्द / अस्वीकार किया जा सकता है और ईएमडी/एसडी को जब्त कर लिया जाएगा।

वित्तीय बोली के संबंध में अनुदेश

1. तकनीकी दस्तावेजों के साथ वित्तीय बोली अपलोड न करें
2. वित्तीय बोली में केवल निर्धारित प्रारूप के अनुसार सेवा प्रदाता की कोट की गई दरें शामिल होनी चाहिए।
3. वित्तीय बोली सभी प्रकार से पूरी की जाएगी और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जाएगी।
4. वित्तीय बोली में केवल भारतीय रुपये में भरी गई कीमत को आंकड़ों में शामिल किया जाना चाहिए। कोट की गई दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में उल्लिखित दर पर विचार किया जाएगा।
5. वित्तीय बोली में दरें/कोट दृढ़ और अंतिम होंगे और संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कारण से नहीं बढ़ाए जाएंगे। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदा की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के मामले में, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
6. वित्तीय बोलियों में पर्याप्त मूल्य का बीमा, वर्दी की लागत, पहचान पत्र और ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों को प्रदान किए गए सुरक्षात्मक गियर और जीएसटी शामिल होंगे। जीएसटी की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।
7. बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, कर्मचारी मुआवजा और ईपीएफ योगदान आदि जैसी सभी वैधानिक देनदारियों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

8. वित्तीय बोली का मूल्यांकन:

- अ) तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां पूर्व-घोषित दिनांक पर खोली जाएंगी।
- आ) बोलियों के मूल्यांकन के बाद, उच्चतम संयुक्त तकनीकी और वित्तीय स्कोर (एस) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा।
- इ) बिना कीमत वाली बोली और मात्रा की अनुसूची के विवरण के लिए कृपया अनुबंध-X देखें।

क्र.सं.	मद /विवरण (केवल निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शीर्ष ब्रांडों के साथ प्रीमियम गुणवत्ता-खंड IV देखें)	
	एक कप सादे दूध के लिए कोट की गई दर (कॉफी वैडिंग मशीन)	केवल एमएसटीसी वेबसाइट में दर कोट करें अनुबंध-X का संदर्भ लें
	एक कप चाय के लिए कोट की गई दर (कॉफी वैडिंग मशीन)	
	एक कप कॉफी के लिए कोट की गई दर (कॉफी वैडिंग मशीन)	
	एक कप ब्लैक कॉफी/ब्लैक टी के लिए कोट की गई दर (कॉफी वैडिंग मशीन)	
	फ्लेवर्ड चाय (मसाला, अदरक, बादाम, नींबू, इलायची, असम ग्रीन आदि) के लिए कोट की गई दर - दूध के बिना (कॉफी वैडिंग मशीन और वर्कस्टेशन के लिए लागू)	
	1 लीटर दूध के लिए कोट की गई दर (टी/कॉफी वर्कस्टेशन पर आपूर्ति के लिए) (कीमत में सभी सामग्री शामिल हैं) अ) चाय/कॉफी पाउडर आ) स्टिरर के साथ प्रीमियम बायोडिग्रेडेबल गुणवत्ता वाले कप। इ) चीनी क्यूब्स/पाउच/देशी चीनी/ शुगर फ्री विकल्प ई) कोई अन्य सामग्री	
	सेवा शुल्क (ठेकेदार का लाभ, ओवरहेड प्रभार, बीमा और अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं; श्रम शुल्क पर 3.00% के न्यूनतम सेवा शुल्क के अधीन। इस शुल्क के लिए कोई निर्धारित ऊपरी सीमा नहीं है; विक्रेता 3% से ऊपर कोई भी शुल्क कोट कर सकता है)।	

L1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया

वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए व्याख्यात्मक उदाहरण (भाग- II)

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए पात्र बोलीदाताओं द्वारा कोट की गई दरों के औसत (तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद) को कुल भारित स्कोर (एफ) निकालने के लिए उस मद के निर्धारित संबंधित भारांक (जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है) के साथ गुणा किया जाएगा।

क्रम संख्या	आइटम का प्रकार	आइटम	वेटेज (%)
1	ए	1 लीटर दूध की बोली दर	40
2	बी	वैंडिंग मशीन के माध्यम से वितरित कॉफी/चाय के लिए कोट दर	30
3	सी	सेवा शुल्क के लिए कोट	30

2. गणना विधि

प्रत्येक आइटम प्रकार के लिए भारित स्कोर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

$$\text{भारित स्कोर} = (\text{वेटेज} \times \text{कोट की गई औसत दर}) / 100$$

कुल भारित स्कोर (F) आइटम प्रकार A, B और C के लिए भारित अंकों का योग है।

3. व्याख्यात्मक उदाहरण

विक्रेताओं द्वारा कोट की गई दरों का उदाहरण X, Y, Z

आइटम का प्रकार	वेटेज (%)	विक्रेता X - औसत दर	भारित स्कोर	विक्रेता Y - औसत दर	भारित स्कोर	विक्रेता Z - औसत दर	भारित स्कोर
ए	40	10	4.0	12	4.8	14	5.6
बी	30	8	2.4	10	3.0	9	2.7
सी	30	6	1.8	8	2.4	7	2.1
कुल भारित स्कोर (एफ)	—	—	8.2	—	10.2	—	10.4

4. वित्तीय स्कोर (एफएस) का निर्धारण

सबसे कम कुल भारित स्कोर को 100 का वित्तीय स्कोर (एफएस) दिया जाएगा।

शेष बोलीदाताओं के वित्तीय स्कोर की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$\text{एफएस} = 100 \times (\text{एफएम/एफ})$$

जहां:

- **Fs** = बोलीदाता का वित्तीय स्कोर
- **एफएम** = सबसे कम कुल भारित स्कोर
- **F** = विचाराधीन बोलीदाता का कुल भारित स्कोर

उदाहरण

विक्रेता	कुल भारित स्कोर (एफ)	न्यूनतम स्कोर (एफएम)	वित्तीय स्कोर (Fs)
X	8.2	8.2	100
Y	10.2	8.2	80.39
Z	10.4	8.2	78.85

5. संयुक्त स्कोरिंग (तकनीकी + वित्तीय)

बोलियों को दोनों का उपयोग करके रैंक किया जाएगा:

- तकनीकी स्कोर (टीएस)
- वित्तीय स्कोर (Fs)

समान वेटेज का उपयोग करना:

- $t = 0.50$ (तकनीकी वजन)
- $f = 0.50$ (वित्तीय वजन)

$$\text{संयुक्त स्कोर (S)} = (Ts \times t) + (Fs \times f)$$

उदाहरण

विक्रेता	तकनीकी स्कोर (टीएस)	वित्तीय स्कोर (Fs)	संयुक्त स्कोर (एस)
X	72	100	$(72 \times 0.5) + (100 \times 0.5) = 86.00$
Y	70	80.39	$(70 \times 0.5) + (80.39 \times 0.5) = 75.19$
Z	85	78.85	$(85 \times 0.5) + (78.85 \times 0.5) = 81.93$

6. L1 बोलीदाता की घोषणा

उच्चतम संयुक्त तकनीकी और वित्तीय स्कोर (एस) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को सबसे कम बोलीदाता (एल 1) के रूप में घोषित किया जाएगा।

ऊपर दिए गए उदाहरण में:

विक्रेता X को L1 घोषित किया गया है

(86.00 के उच्चतम संयुक्त स्कोर के आधार पर)

7. अतिरिक्त शर्तें

- गणना पद्धति, स्कोरिंग और L1 के निर्धारण पर बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- आइटम टाइप बी की लागत की गणना वित्तीय बोली में उस श्रेणी के भीतर सभी वस्तुओं की कीमतों के औसत से की जाएगी।
- किसी भी विवाद या अस्पष्टता के मामले में बैंक का निर्णय मान्य होगा।

ग्राहकों की सूची/ खानपान सेवाएं प्रदान करने में पिछले अनुभव का विवरण: - (पिछले 5 वर्षों के दौरान- वर्तमान और पिछले ग्राहक का विवरण)

क्रम सं	संगठन का नाम और स्थान	कार्य की अवधि		संविदा मूल्य	संगठन के व्यक्तियों की कुल संख्या (ग्राहक के)	ग्राहक का संपर्क विवरण
		से	तक			

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

स्थान

मोहर

नोट: – आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अनुभव के लिए दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत करें जैसे कि ग्राहक प्रमाणपत्र, कार्य आदेश, करार आदि की प्रतियां।

(एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड करें)

कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान.....

दिनांक.....

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडु और पुदुचेरी
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लासिस, राजाजी साल्लै
चेन्नै - 600 001.

महोदया,

**भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और कॉफी/चाय सेवाओं
के लिए जनशक्ति की आपूर्ति**

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, ने अपने कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लासिस, 16, राजाजी साल्लै, पी.बी.नं.40, चेन्नै 600 001 (इसके बाद "आरबीआई" कहा गया है) के माध्यम से मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) को शीर्षकित कार्य के लिए संविदा प्रदान की है (इसके बाद "संविदा" कहा गया है),

और

जबकि ठेकेदार पर उक्त संविदा के अनुसार बाध्यकारी है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै को संविदा में निहित निबंधन और शर्तों के अनुसार उक्त संविदा की पूर्ति के लिए ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) की कुल राशि के लिए एक कार्य निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करे। हम..... (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा गया है), मैसर्स, ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में ₹ _____ तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी निम्न की साक्षी है

1. हम _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितों से सहमत हैं और वचन देते हैं, कि भारतीय रिज़र्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि ठेकेदार ने संविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, और इस प्रकार का निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर हम भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी देरी के ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) या इससे कम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित कार्य निष्पादन के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी देरी या विरोध के केवल लिखित रूप में इस आशय का एक नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी वाद या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के होते हुए भी भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच करार या करारों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. इस गारंटी को आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा।

हम एतद्वारा आगे सहमत हैं कि:

क) ठेकेदार को उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या समय की छूट दिए जाने या आरबीआई द्वारा कोई रियायत देने या इस संबंध में कोई अन्य मामला होने की स्थिति हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करेगा। इस गारंटी को केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के

निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा
₹ _____ रुपये _____ मात्र)

तक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

ख) इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ₹ _____ की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी असक्षमता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी इस संविदा _____ (संविदा की अवधि से 60 दिन बाद, यानी 31 मार्च, 2024) तक लागू रहेगी और यदि आरबीआई द्वारा ऐसा चाहा जाता है तो इस गारंटी को यहां निहित नियमों और शर्तों पर आरबीआई द्वारा इंगित की गई अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

ड) यदि उपरोक्त में उल्लिखित किए गए अनुसार इस गारंटी का निर्धारित दिन पर नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो निर्धारित दिन पर या हमारे घटक द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन करने पर, दोनों में से जो बाद में हो, यह गारंटी समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित रूप में इस आशय का एक प्रमाणपत्र इसका निर्णायक प्रमाण होगा। जब तक हमारे खिलाफ _____ तक या किसी विस्तारित अवधि तक कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके साक्ष्य के रूप में बैंक के मैनेजर/हमने इस गारंटी पर(वर्ष)(माह) के दिन विधिवत अधिकृत किए जाने पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर अपनी सील लगाई है।

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

पदनाम

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त द्वारा निम्न की उपस्थिति में बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द किया गया:

साक्षी 1

हस्ताक्षर-----

नाम

पता

(ध्यान दें: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

किसी भी अपराध/लंबित मामले की दोषसिद्धि न होने की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरा/हमारा _____
(आवेदक/कार्यालय का नाम) जिनका _____ (कार्यालय का पता) पंजीकृत कार्यालय है, किसी भी अदालत या अधिकृत निकाय के समक्ष कोई लंबित प्रशासनिक और/या आपराधिक मामला नहीं है। मैं, इसके अलावा, प्रमाणित करता हूं कि मुझे कभी भी किसी भी प्रशासनिक जुर्म और/या अपराध का दोषी/अपराधी नहीं पाया गया है।

मैं समझता हूं कि उपरोक्त की सच्चाई के रूप में कोई भी गलत बयानी मेरे आवेदन की अस्वीकृति और/या मेरे खिलाफ प्रशासनिक और/या आपराधिक मामले दायर करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी गई पात्रता को पूरी तरह से रद्द कर देगी।

हस्ताक्षर:

नाम:

दिनांक:

विक्रेता की मुहर:

घोषणा

1. हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया/संविदा प्रदान करने से वंचित किया जा सकता है।
2. मैं/हम इस बात का पालन करने के लिए सहमत हैं कि निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, किसी भी तरह से झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से ऐसी बोली/संविदा को रद्द / अस्वीकृत किया जा सकता है और ईएमडी/एसडी जब्त कर ली जाएगी।
3. मैं/हम विनिर्दिष्ट पात्रता, योग्यता मानदंड और तकनीकी आवश्यकताओं के रूप में सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और निविदा प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने के लिए नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।
4. मैं/हम निविदा प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं और जैसा कि "बोलीदाताओं को अनुदेश" और " करार की सामान्य और विशिष्ट शर्तें" में भी उल्लेख किया गया है और हम सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
5. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारा ट्रेक रिकॉर्ड साफ है और अवैध गतिविधि या वित्तीय धोखाधड़ी से मुक्त है। यदि इस संबंध में कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया/ ठेका प्रदान किए जाने से तुरंत वंचित किया जा सकता है।
6. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा तकनीकी बोली खोलने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना धन जमा (ईएमडी) को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
7. हम इसके द्वारा नियोक्ता, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को ठेका श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान के खिलाफ और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए हमारे उप-ठेकेदार से क्षतिपूर्ति का दावा करने के हमारे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं और क्षतिपूर्ति करना जारी रखेंगे।
8. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, चेंन्ने किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर:

नाम:

सील:

दिनांक:

अनुबंध X

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और कॉफी/चाय सेवाओं को तैयार करने और परोसने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

मूल्य रहित बोली (मात्रा की अनुसूची)

क्रम सं	ब्याँरे	पांच महीने के लिए मात्रा (लगभग)	मापन की इकाइयाँ	सकल कुल (जीएसटी सहित) (₹) (एमएसटीसी वेबसाइट में कोट)
1	सादा दूध (कॉफी वेंडिंग मशीन)	16520	कप	कृपया प्रति यूनिट दर (कप) (जीएसटी को छोड़कर) [ए] कोट करें और सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके मात्रा और जीएसटी के साथ गुणा करेगा और अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 1 से 5 = (A*मात्रा*1.05)
2	चाय (कॉफी वेंडिंग मशीन)	5715	कप	
3	कॉफी (कॉफी वेंडिंग मशीन)	10515	कप	
4	ब्लैक कॉफी/ब्लैक टी (कॉफी वेंडिंग मशीन)	6050	कप	
5	फ्लेवर्ड टी (मसाला, अदरक, बादाम, नींबू, इलायची, असम ग्रीन आदि) - दूध के बिना (कॉफी वेंडिंग मशीन और वर्कस्टेशन पर लागू)	47465	कप	
6	दूध (मूल्य में सभी सामग्री शामिल हैं) (वर्कस्टेशनों पर आपूर्ति) (निविदा दस्तावेज के खंड-V के पृष्ठ 27 -पैरा (3)(i)(1) देखें।	15015	लीटर	कृपया प्रति यूनिट (लीटर) की दर कोट करें (जीएसटी को छोड़कर) [ए] और सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके मात्रा और जीएसटी के साथ गुणा करेगा और अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 6 = (A*मात्रा*1.05)
7	सेवा शुल्क (ठेकेदार का लाभ, ओवरहेड शुल्क, बीमा और अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं; श्रम शुल्क पर 3.00% के न्यूनतम सेवा शुल्क के अधीन। इस शुल्क के लिए कोई निर्धारित ऊपरी सीमा	5	महीने	कृपया एकमुश्त सेवा शुल्क (ए) को एक महीने के लिए जीएसटी को छोड़कर कोट करें (श्रम घटक - एक महीने के लिए 16 अकुशल और 1-अर्धकुशल के लिए) और सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग

	नहीं है; विक्रेता 3% से ऊपर कोई भी शुल्क कोट कर सकता है।			करके मात्रा और जीएसटी के साथ गुणा करेगा और अंतिम राशि दिखाएगा। क्र.सं.7 = (A*मात्रा*1.18)
कुल योग				क्रम संख्या 1 से 7

नोट :

1. बैंक ने सांकेतिक प्रयोजन के लिए उपरोक्त तालिका में पिछले वर्ष के उपयोग के अनुसार मात्रा का उल्लेख किया है। हालांकि, संविदा अवधि यानी 01 जनवरी, 2026 से 31 मई, 2026 तक की वास्तविक मात्रा बैंक की आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है।
2. बोलीदाता द्वारा उल्लिखित अलग-अलग मदों के लिए कोट की गई दरें अंतिम हैं और संविदा अवधि की कुल अवधि के लिए समान रहेंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक और स्थान:

न्यूनतम वेतन गणना पत्रक

वेतन पत्रक - 22 दिनों के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार			
क्रम सं	विवरण	अर्ध-कुशल कामगार	अकुशल श्रमिक
1	मूल मजदूरी और वीडिए प्रति दिन की दरें (मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर, 2025 द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी, 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावी)	19,646/-	17,710/-
2	ईपीएफ @ मूल वेतन का 13% प्लस ईडीएलआई (0.5%) और व्यवस्थापक शुल्क (0.5%) सहित वीडिए (नियोक्ता योगदान) (मूल + वीडिए ₹15,000/- प्रति माह वेतन या ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि की अधिकतम सीमा के अधीन है)	1,950/-	1,950/-
3	ईएसआईसी @ मूल वेतन का 3.25% + वीडिए (नियोक्ता अंशदान) (यदि वेतन 21,000 रुपये से या ईएसआईसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य राशि से अधिक है , तो लागू नहीं)	692/-	624/-
4	बोनस @ 8.33% (यदि वेतन 21,000/- रुपये या बोनस अधिनियम द्वारा समय-समय पर अपडेट की गई किसी अन्य राशि से अधिक है तो लागू नहीं ।	1,637/-	1,476/-
5	22 दिनों के लिए 01 व्यक्ति के लिए प्रति माह के लिए न्यूनतम मजदूरी (लगभग)	23,925/-	21,760/-
	16-अकुशल और 1-अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी एक महीने के लिए जीएसटी रहित।	(₹23,925*1+₹21,760*16) = ₹3,72,085/-	

नोट: - उपरोक्त मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है और श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा अद्यतन किया गया है। कंपनी को समय-समय पर केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है अधिसूचना के माध्यम से अद्यतन की गई न्यूनतम मजदूरी में भविष्य में की गई वृद्धि की प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन की जाएगी।

दंड

क्र.सं.	कमी/अनियमितता का प्रकार	निविदा अवधि के दौरान पहली बार	निविदा अवधि के दौरान 2-5 बार	निविदा अवधि के दौरान 5 से अधिक बार
1	गैर-कार्यनिष्पादन / सेवाओं में देरी / पेंट्री, स्टोर, कॉफी वेंडिंग मशीन क्षेत्र या सेवा क्षेत्रों में खराब स्वच्छता,	₹500/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹1,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹2,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई
2	इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मजदूरी का भुगतान न करना या इस तरह के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करना / ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही/कदाचार के मामले	₹2,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹5,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹10,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई
3	सांविधिक और अन्य रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों का रखरखाव न करना या बैंक द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जमा न करना/ सांविधिक प्रेषण प्रमाण (ईपीएफ/ईएसआई/अन्य बकाया)	₹2,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹5,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹10,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई
4	नाबालिगों का रोजगार/केंद्र सरकार के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है/या किसी श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ईपीएफ/ईएसआई खातों में (नियोक्ता और कर्मचारी का हिस्सा) जमा करने और इस संबंध में गलत दस्तावेज जमा करने में विसंगतियां।	₹5,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹10,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई	₹20,000/- और जैसा बैंक उचित समझे उसके अनुसार अन्य कार्रवाई

अतिरिक्त शर्तें

1. जुर्माना सेवाओं के निलंबन, समाप्ति, या सुरक्षा जमा/पीबीजी को रद्द करने सहित आगे की कार्रवाई करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।
2. गंभीर उल्लंघन (जाली दस्तावेज, नाबालिगों को काम पर लगाना, मजदूरी उल्लंघन) के परिणामस्वरूप संविदा तत्काल समाप्त की जा सकती है।
3. कमियों की बार-बार पुनरावृत्ति को संविदा के प्रमुख उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।
4. जुर्माना मासिक बिलों से काटा जाएगा या प्रतिभूति जमा/पीबीजी से वसूल किया जाएगा।
5. कमी के वर्गीकरण और जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
